प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड,
वाराणसी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– /सो0यां0नि0ख0वा0/ टेण्डर/ वाराणसी, दिनांकः ,2018

विषयः–अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या–01/अधि0अभि0/2018–19 का समाचार पत्रों में प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आमंत्रित की जाने वाली इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या–01/ सो0यां0नि0ख0वा0/2018–19 छः प्रतियॉ सी0डी0 सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न निविदा सूचना का प्रकाशन इस जनपद व आस–पास के जनपदों के प्रचलित किन्ही दो राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

संलग्नक : सूचना छः प्रतियों में तथा एक अदद सी0डी0 सहित।

भवदीय

(शशिकान्त विद्यार्थी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– /सो0यां0नि0ख0वा0/निविदा/2018–19/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निविदा की एक प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निविदा सूचना व सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ कि निविदा सूचना विभागीय टेण्डर साइट पर अपलोड करने का कष्ट करे ।
4. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी/सोनभद्र ।
5. पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई मण्डल/नलकूप मण्डल, वाराणसी/सिंचाई मण्डल, वाराणसीफ
7. अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी/लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद/नलकूप निर्माण खण्ड, वाराणसी/नलकूप खण्ड प्रथम, वाराणसी/बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी/लघु डाल नहर खण्ड, वाराणसी।
8. समस्त सहायक अभियन्ता, सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी।
9. नोटिस बोर्ड हेतु ।

(शशिकान्त विद्यार्थी)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड,वाराणसी

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–01 / अधि0अभि0,सो0यां0नि0ख0वा0 / 2018–19,

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मूल निर्माता फर्मो तथा अनुभव प्राप्त ए श्रेणी में सिंचाई विभाग में यांत्रिक कार्यो हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से मुहर बन्द निविदायें दिनांक–25.10.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आंमत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधिशासी अभियन्ता, सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी के कार्यालय में गठित निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारो / उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक–16.10.2018 से दिनांक–24.10.2018 तक सांय 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी से ऐसे निविदा दाता जो निम्नलिखित नियम व शर्ते पूरी करते हो निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र कार्यालय सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी व लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी से भी निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करने पर प्राप्त किये जा सकेगें। कार्यालय बन्द होने या छुटटी होने की दशा में यह निविदा अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

लाट0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि (भारतीय लाख रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य भारतीय रु0 में	ठेकेदार की श्रेणी
1	सोन पम्प नहर तृतीय चरण पर स्थापित पम्पसेट संख्या–04 की 1600 किलो वाट 6.6 के0वी बी0एच0ई0एल0 मेक एच0टी0 मोटर की मरम्मत का कार्य	01 जॉब	0.35	02 माह	225.00. + 18 % GST	यांत्रिक "A" श्रेणी
2	धोबा पम्प नहर पर 615 किलो वाट 3.3 के0वी0 बी0एच0ई0एल0 मेक एच0टी0 मोटर के मरम्मत का कार्य	01 जॉब	0.80	02 माह	225.00. + 18% GST	यांत्रिक "A" श्रेणी

नियम व शर्ते

1. यह निविदा सूचना सिंचाई विभाग की व्यवसाईट (www.irrigation-nic.in) पर उपलब्ध है। निविदा हेतु सिंचाई विभाग के उपरोक्त अंकित श्रेणी के वही ठेकेदार अर्ह होगें जिन्होंने विभाग में विगत 03 वर्षो में 1000 किलो वाट क्षमता से अधिक की एच0टी0 मोटर की मरम्मत का कार्य संतोष जनक ढ़ंग से पूर्ण किया हो, इसका सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण–पत्र के निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। प्रपत्र के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)स्व घोषणा शपथ–पत्र (IDT-3)के समस्त अभिलेखों को निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2 .निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र का मूल्य तालिका के अनुसार समस्त वैधानिक कर सहित अधिशासी अभियन्ता, सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी जो वाराणसी मुख्यालय शाखा में देय हो, जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी निबिदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नही किया जायेगा।
4. मोटर मरम्मत का कार्य सम्बन्धित पम्प नहर के शीर्ष पर करना होगा।
5. रिवाइंडिग / रिइन्सूलेशन के कार्य में प्रयुक्त मटेरियल उच्च गुणवत्ता के हो तथा उन्हें इंजीनियर इंचार्ज (Assitant Engineer)के निरीक्षणोंपरान्त ही प्रयुक्त किया जायेगा।
6. नियमानुसार देय जी0एस0टी, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबंध से पूर्व नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।
7. कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई / बढ़ाई जा सकती है,।
8. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी के किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा

सकती है ।

9. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

10. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

11. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

12. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगें।

13. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. विशेष परिस्थितियो मे निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना प्रकाशित की जायेगी।

15. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रो का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता IDT-1, IDT-2, IDT-3तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध कराये गये है या नही।इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति मे सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की निविदा निरस्त की जा सकती है।

16. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमो का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यो की दर विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर तथा सिक्योरिटी डिपाजिट एवं परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबंध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

18. ठेकेदार/फर्म द्वारा मरम्मत की गयी मोटर की सामान्य संचालन दशा (Normal Running Condition) में कार्य पूर्ण होने की तिथि से 06 माह या 2500 घंन्टें जो भी पहले हो की लिखित वारंटी देना अनिर्वाय होगा । वारंटी अवधि में अनुवंध के साथ बंधक प्रतिभूतियों को अवमुक्त नही किया जायेगा । ठेकेदार द्वारा वारंटी अवधि मे मोटर के पुनः निःशुल्क मरम्मत न करने की दशा मे प्रतिभूतियों को जब्त करते हुए नियमतः अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है ।

19. निविदा प्रपत्र के साथ जी0एस0टी तथा पैन कार्ड की प्रति लगाना अनिवार्य होगा।

20. निविदा प्रपत्र का मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अधिशासी अभियन्ता सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी के पक्ष में देय होगा ।

21 धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाक घर बचत पास बुक/राष्ट्रीयकृत बैंको के एफ0 डी0 आर0 /सी0डी0आर0आदि के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी के पद नाम से बंधक होगी, के रूप में स्वीकार की जायेगी ।

22. निविदा के साथ 100/–का स्टैम्प पेपर जिसपर रू0 1/–का रेवेन्यू टिकट लगा हो, निविदा की वैधता की शर्ते/दरे 90 दिवस तक के लिये मान्य हों संलग्न करना होगा । इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

23. भुगतान बजट एवं साख–सीमा प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(शशिकान्त विद्यार्थी)
अधिशासी अभियन्ता